

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

128वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 16-04-2025

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 128वीं बैठक दिनांक 16-04-2025 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 128वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ /अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 16-04-2025 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1	श्री अभिषेक पाण्डेय,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2	श्री वी०के०सिंह,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3	श्री सौरभ गंगवार,	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
4	श्री अशोक कुमार,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि-विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-8, लखनऊ।	सदस्य
5	श्रीमती गरिमा सिंह,	अपर आयुक्त उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य
6	श्री कृष्ण मोहन,	सहयुक्त नियोजक, (प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक) ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
7	श्री कृष्ण मोहन,	सहयुक्त नियोजक, चीफ को-आर्डिनेटर प्लानर, एन०सी०आर० गाजियाबाद।	सदस्य
8	श्री राजीव कुमार	अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त प्रतिनिधि आवास आयुक्त, आ०वि०परिषद, मेरठ।	सदस्य
9	श्री प्रशान्त कुमार,	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, प०वि०वि०एन०एल०, मेरठ।	सदस्य
10	श्री राज पाल सिंह	अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, मेरठ	बोर्ड द्वारा नामित सदस्य
11	श्री चरण सिंह लिसाड़ी,	शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ।	शासन द्वारा नामित सदस्य
12	श्रीमती वर्षा कौशिक	शासन द्वारा नामित सदस्य, के-03, के ब्लॉक, विद्या मन्दिर इण्टर कालेज,	शासन द्वारा नामित

		शास्त्रीनगर, मेरठ।	सदस्य
13	श्री नैन सिंह तोमर	शासन द्वारा नामित सदस्य, गली नं001, मकान नं0 08, नेहरू नगर, मेरठ।	शासन द्वारा नामित सदस्य
14	श्री आनन्द कुमार सिंह	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक/सदस्य

कोरम पूर्ण है। अतएव अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

127वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26-12-2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि -

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 26-12-2024 को सम्पन्न 127वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण द्वारा पारित परिचालन प्रस्ताव की पुष्टि -

क्र० सं०	प्रस्ताव का विवरण	परिचालन पद्धति से स्वीकृति का दिनांक	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
1.	मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में ग्रीन वर्ज, पार्क, आवासीय, व्यवसायिक, सड़क तथा मानको के अनुरूप सुविधाओं को छोड़ते हुए शेष अनावंटित/अनिस्तारित भूमि का लैण्ड मोनेटाइजेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन एवं तलपट मानचित्रों में आंशिक संशोधन तथा सृजित भूखण्डों के निस्तारण की कार्ययोजना को अन्तिम स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	25-07-2024	मा0 बोर्ड द्वारा परिचालन से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।
2.	मेरठ शहर में इनर रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।	27-02-2024	मा0 बोर्ड द्वारा परिचालन से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

122वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23-02-2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन-

क्र० सं०	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
11.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में संचालित सीवररेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत सीवर प्रणाली को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए समस्त 13 एस0टी0पी0 पर एस0टी0पी0 उच्चीकरण का कार्य किया जा रहा है। एस0टी0पी0 उच्चीकरण का कार्य 15 मई 2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जायेगा। हस्तान्तरण के सम्बन्ध में नगर निगम, मेरठ द्वारा हस्तान्तरण से पूर्व सीवर प्रणाली का सुदृढीकरण कराये जाने हेतु आग्रह किया गया है। सीवर प्रणाली का भौतिक सर्वेक्षण मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कराते हुए त्रुटिपूर्ण/क्षतिग्रस्त/चौक सीवर लाईन का चिन्हीकरण किया चुका है। सीवर प्रणाली के सुदृढीकरण के सापेक्ष गठित रिपोर्ट नगर निगम, मेरठ को सुझावों/टिप्पणियों हेतु पत्र संख्या-MeDA/24-25/EN/10668 दिनांक-12.03.2025 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रेषित पत्र पर नगर निगम की वर्तमान दिनांक तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है। सीवर प्रणाली सुदृढीकरण में रु०-15 करोड का व्यय सम्भावित है, जोकि प्राधिकरण योजना मद से कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। जिससे मेरठ विकास प्राधिकरण आवासीय योजनाओं की सीवर प्रणाली को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किया जा सके।	मा० बोर्ड द्वारा एस0टी0पी0 उच्चीकरण के कार्यों का अवलोकन किया गया एवं सीवररेज लाईन उच्चीकरण के कार्यों को अनुमोदित कर गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने के निर्देश दिये गये, जिससे कि ससमय सीवेज अवस्थापना नगर निगम को हैण्ड ओवर की जा सके।

३५

३१

५

दिनांक 20-11-2021 को सम्पन्न 118वीं बोर्ड बैठक एवं दिनांक 23-02-2023 को सम्पन्न 122वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन-

13
व
04

मेरठ विकास प्राधिकरण में जेम पोर्टल के माध्यम से आउट सोर्सिंग पर 02 मानचित्रकार (ड्राफ्टमैन), 01 लेखपाल, 01 लेखाकार, 01 विधि अधिकारी एवं 01 प्लानिंग असिस्टेंट कार्य पर रखे जाने एवं सेवानिवृत्त/स्थानान्तरित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर प्राधिकरण से सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को मानदेय पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

क्र० सं०	अनुमोदित पद		पद के सापेक्ष नियुक्ति	अतिरिक्त पद की आवश्यकता
1	2	3	4	5
1.	राजस्व अधिकारी	01	01	0
2.	वित्त एवं लेखाधिकारी	01	01	0
3.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	03	02	0
4.	अवर अभियन्ता (सिविल)	06	06	0
5.	मानचित्रकार	02	02	0
6.	अर्बन प्लानर	02	01	0
7.	लेखपाल	02	03	01
8.	कम्प्यूटर टाईपिस्ट	40	32	0
9.	लेखाकार	1	1	0
10.	सहायक लेखाकार	3	2	0
11.	लिपिक	2	1	0
12.	सुरक्षागार्ड	12	12	0
13.	प्लानिंग असिस्टेंट	1	0	0

मा0 बोर्ड को सर्वप्रथम स्वीकृत एवं अनुमोदित पदों के विषय में अवगत कराया गया।

स्वीकृत पदों का विवरण

क्र० सं०	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पद के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्तियां	रिक्तियों के सापेक्ष बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त आउटसोर्सिंग सिंग पद्धति से नियुक्त कर्मिकों की संख्या	तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत आउटसोर्सिंग पद्धति से नियुक्त ऐसे जिनकी नियुक्ति के विषय में प्रा0 बोर्ड से Post Facto अनुमोदन वांछित है
1	वित्त एवं लेखाधिकारी	01	—	01	01	—
2	सहायक अभियन्ता	13	10	03	02	—
3	अवर अभियन्ता	37	13	24	06	—
4	मानचित्रकार	05	—	05	02	—
5	लेखपाल	02	—	02	02	01
6	लेखाकार	01	—	01	01	—
7	सहायक लेखाकार	09	01	08	02	—
8	लिपिक	43	28 (नियमित) 06 (दौरे)	09	01	—
9	वाहन	15	07	08	02	—

14.	विधि सलाहकार	1	0	0
15.	अर्बन डिजाइनर	1	01	0
16.	ट्रान्सपोर्ट प्लानर	1	0	0
17.	वाहन चालक	03	02	0
18.	पलम्बर	0	02	02
19.	जनरेटर आपरेटर	0	02	02
20.	सफाई कर्मचारी	0	03	03
21.	इलेक्ट्रिशियन	0	04	04
योग		82	78	12

1. शासन के पत्र सं० 135/आठ-10-2023/54ई/2016 दिनांक 05.04.2023 एवं पत्र सं०-1/823257/2024 दिनांक 13.12.2024 के क्रम में पारित बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में मृत आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत 14 चतुर्थ श्रेणी तथा 06 तृतीय श्रेणी के कार्मिकों को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जा चुके हैं।
2. क्रमांक 08 पर लेखपाल का 01 पद

	चालक					
10	पलम्बर	01	—	01	01	01
11	जनरेटर आपरेटर	01	—	01	01	01
12	सफाई कर्मचारी	04	04 (नियमित) 01 (अधिसंख्य)	—	—	03
13	इलेक्ट्रिशियन	01	01 (अधिसंख्य)	—	—	04
कुल		133	73	63	21	10

बोर्ड के अनुमोदनोपरांत स्वीकृत पदों का विवरण

क्र० सं०	आवश्यकतानुसार अनुमोदन आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त सृजित किये गये पद	बोर्ड द्वारा अनुमोदन उपरान्त स्वीकृत किये गये पदों की संख्या	सृजित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों की संख्या
1	राजस्व अधिकारी	01	01
2	अर्बन प्लानर	02	01
3	कम्प्यूटर आपरेटर	40	32
4	प्लानिंग असिस्टेंट	01	—
5	विधि सलाहकार	01	—
6	अर्बन डिजाइनर	01	01
7	ट्रान्सपोर्ट प्लानर	01	—
कुल		47	35

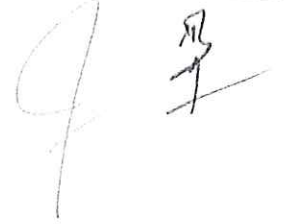
इस प्रकार मा० बोर्ड द्वारा Post Facto 10 पदों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

		स्वीकृत नहीं है व क्रमांक 19 पर पलम्बर 2 पद व क्रमांक 20 पर जनरेटर आपरेटर 2 पद व क्रमांक 21 पर सफाई कर्मचारी 03 पद व क्रमांक 22 पर इलेक्ट्रिशियन 04 पद सहित कुल 12 पदों की चवेज बिजव स्वीकृति की आवश्यकता है। 3. कार्य के महत्ता के दृष्टिगत उपरोक्त तालिका के कालम नम्बर 5 के अनुसार कुल 12 कार्मिकों की आपूर्ति आउट सोर्स के माध्यम से प्राप्त कर ली गयी है इस प्रकार कुल 12 कार्मिकों की विभिन्न पदों हेतु प्रस्ताव post facto अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
--	--	--	--

124वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17-08-2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन -

मद सं०	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
3.	प्राधिकरण से विकासकर्ताओं द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को 45 दिनों की	उपरोक्त विषयक कोई प्रगति नहीं हुयी है।	मा0 बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-4815/आ-1-04-52विविध/0 4 दिनांक 02.11.2004 द्वारा निर्धारित व्यवस्था मात्र उन कालोनियों/अवस्थापना सुविधाओं हेतु





समयावधि के अन्दर हस्तान्तरित हो, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नहीं है कालोनियां स्वतः ही नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित हो जाने के सम्बन्ध में।	लागू होती है, जिन्हें मेरठ विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा स्वयं विकसित किया गया हो। ऐसी परिस्थिति में निजी कालोनियों की आंतरिक सुविधाओं के अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित विकासकर्ता/आर0डब्ल्यू0ए0 की है। अतः पूर्व में की गयी समस्त हस्तांतरण प्रक्रिया को मा0 बोर्ड द्वारा रद्द किया गया।
--	--

125वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12-01-2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन -		
1. मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण /नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र विकास हेतु जिला व तहसील मेरठ में स्थित ग्राम छजमलपुर उर्फ छज्जपुर, इकला, दौलतपुर फखराबाद उर्फ कायस्थ गांवड़ी	जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित "क्रय दर निर्धारण समिति" के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त का अनुपालन करते हुए टाउनशिप के विकास/निर्माणार्थ कृषकों से भूमि क्रय की जा रही है। वर्तमान दिनांक तक कुल 97.49 है० भूमि क्रय की जा चुकी है। उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास हेतु न्यू टाउनशिप परियोजना के लिए राजस्व ग्राम दौलतपुर फखराबाद उर्फ कायस्थ गांवड़ी के प्रस्तावित खसरा संख्या 564 क्षेत्रफल 3.	मा0 बोर्ड द्वारा भूमि खरीद की प्रगति अवलोकित करते हुए, शीघ्रअतिशीघ्र परियोजना लॉन्च करने के निर्देश दिये गये। गाटा संख्या-564 एवं 565 के विषय में बोर्ड द्वारा अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), अपर जिलाधिकारी (वित्त), सचिव एवं उप जिलाधिकारी-सदर की चार सदस्यीय समिति गठित कर, स्थलीय सत्यापन उपरांत स्पष्ट

एवं ग्राम महीउद्दीनपुर की भूमि कृषकों से आपसी बातचीत के माध्यम से क्रय करने हेतु दर निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	2610है0 एवं खसरा संख्या 565 क्षेत्रफल 4.9300है0 के हिस्सेदारों/कृषकों द्वारा लिंक मार्ग का सेगमेंट सहित भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि राजस्व ग्राम दौलतपुर फखराबाद उर्फ कायस्थ गांवडी के खसरा संख्या 564 क्षेत्रफल 3.2610है0 एवं खसरा संख्या 565 क्षेत्रफल 4.9300है0, के हिस्सेदारों/कृषकों द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने हेतु माह फरवरी 2024 में अपने-अपने समझौता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये। कृषकों के समझौता प्रमाण पत्र एवं खतौनी दांयी ओर संलग्न है। हिस्सेदारों/कृषकों द्वारा दिनांक 18.11.2024 को उक्त खसरा नम्बर कृषि भूमि की 200मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधियां विद्यमान होने के कारण नियमानुसार जिलाधिकारी द्वारा जारी मूल्यांकन दर सूची के सामान्य निर्देश के बिन्दु 19(स) क्रमांक 19(अ) के अनुसार निर्धारित कृषि दर से 30 प्रतिशत अधिक मूल्य दिये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसके क्रम में आख्या प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 489-1/अ0अनु0/ न्यूटाउनशिप/2024 दिनांक 19.11.24 प्रेषित किया गया। जिसके उपरान्त दिनांक 18.12.2024 को तहसील द्वारा अपनी आख्या प्राप्त करायी गयी। तहसील की आख्या के अनुसार खसरा संख्या 565 महीउद्दीनपुर से सिवालखास लिंक मार्ग पर स्थित है तथा 200मीटर की त्रिज्या में दुकान, पेट्रोल पम्प, फैक्ट्री आदि स्थापित है। परन्तु अन्तिम भूचित्र के अनुसार उक्त दोनों खसरा नम्बरोंन महीउद्दीनपुर से सिवालखास लिंक मार्ग पर स्थित ग्राम समाज का खसरा नम्बर 555 (नाली) के बाद स्थित है	संस्तुति/असंस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे कि प्रकरण का सम्यक निस्तारण किया जा सके।
--	---	---

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

	अर्थात् उक्त दोनों खसरा नम्बरों एवं महीउद्दीनपुर से सिवालखास लिंक मार्ग के मध्य ग्राम समाज का खसरा नम्बर 555 (नाली) स्थित है। तहसील की उक्त आख्या के उत्तर में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21.01.25 को पुनः सर्वेक्षण कर दो दिन में आख्या उपलब्ध कराने हेतु पत्रालेख प्रेषित किया गया। परन्तु इसका उत्तर अभी तक प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है। 1- जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित भूमि क्रय निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.10.23 द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित आवासीय परियोजना हेतु कृषकों से सहमति के आधार पर भूमि क्रय हेतु भूमि का मूल्य, कृषि भूमि होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के सर्किल दर के चार गुना एवं अकृषक भूमि होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के सर्किल दर के दो गुना निर्धारित किया गया है। 2- जिलाधिकारी द्वारा जारी मूल्यांकन दर सूची के सामान्य निर्देश के बिन्दु 19(स) क्रमांक 19(अ) के अनुसार लिंक मार्ग पर स्थित होने पर निर्धारित कृषि दर से 20 प्रतिशत अधिक मूल्य का भुगतान एवं कृषि भूमि की 200मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधियां विद्यमान होने पर निर्धारित कृषि दर से 30 प्रतिशत अधिक मूल्य का भुगतान होगा। उक्त प्रकरण में प्रश्नगत दोनों खसरा नम्बरों का सेगमेन्ट के बिना गणना एवं सेगमेन्ट सहित गणना का	
--	--	--

विवरण निम्नवत् है:-							
क्र० सं०	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	उपनिबन्धक, तृतीय, मेरठ के मूल्यांकन सूची के अनुसार सर्किल रेट (प्रति हैक्टेयर)	सर्किल रेट के 4 गुना से बिना सेगमेंट के मालियत (प्रति वर्गमीटर)	सर्किल रेट के 4 गुना से 20 प्रतिशत लिंक मार्ग का सेगमेंट सहित मालियत (प्रति वर्गमीटर)	अन्तर (प्रति वर्गमीटर)	कुल क्षेत्रफल पर अन्तर की धनराशि ।
1	2	3	4	5	6	7	
1	564	3.2610	16000000	6400	7680	1280	4,17,40,800 /—
2	565	4.9300	16000000	6400	7680	1280	6,31,04,000 /—
						योग	10,48,44,800 /—
					अन्तर की धनराशि पर रू० 83,87,600 /—का ई—स्टाम्प व निबन्धन शुल्क भी अतिरिक्त लगेगा।		

उपरोक्त प्रकरण निर्णय हेतु बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

4.	मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में प्रयोजन हेतु ग्रीन वर्ज, पार्क, आवासीय, व्यवसायिक, सड़क तथा मानको के अनुरूप सुविधाओं को छोड़ते हुए शेष निष्क्रिय पड़ी भूमि को नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	आवासीय, व्यवसायिक, सड़क तथा मानको के अनुरूप सुविधाओं को छोड़ते हुए शेष निष्क्रिय पड़ी भूमि का नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में लैण्ड मोनिटाईजेशन अभियान के अन्तर्गत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के तलपट मानचित्रों के संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की 125वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.01.2024 में मद सं० 04 पर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में विभिन्न योजनाओं के तलपट मानचित्रों में रिक्त/निष्क्रिय पड़ी भूमि की स्थलानुसार मांпе/सर्वे अभियंत्रण खण्ड द्वारा उपलब्ध करायी गई थी। तत्क्रम में	मा० बोर्ड को अवगत कराया गया कि लैण्ड मोनिटाईजेशन कार्यक्रम अन्तर्गत द्वितीय चरण में कुल 22 है० भूमि पर पुर्ननियोजन का कार्यक्रम गतिमान है। तकनीकी समिति से समस्त पुर्ननियोजित तलपट मानचित्रों के परीक्षण उपरांत एवं सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से आमजन से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के सम्यक निस्तारण उपरांत समस्त संशोधित तलपट मानचित्र प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
----	--	--	---

	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा पुर्ननियोजित/नवसृजित सम्पत्तियों का नियोजन की दृष्टि एवं औचित्य सहित परीक्षण करते हुए युक्ति-युक्त भूखण्ड पुर्ननियोजित/सृजित करते हुए संशोधित पार्ट तलपट मानचित्र तैयार किये गये। लैण्ड मोनेटाईजेशन के प्रथम चरण में प्राधिकरण की 09 योजनाओं में व्यवसायिक, ऑफिस, आवासीय एवं अन्य उपयोग के कुल 1455 भूखण्ड पुर्ननियोजित/सृजित किये गये, जिसमें ई.डब्लू.एस. श्रेणी के 48 भूखण्ड एवं एल.आई.जी. श्रेणी के 510 भूखण्ड सम्मिलित थे। तत्कम में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुति तथा पुर्ननियोजित/सृजित किये गये भूखण्डों एवं उक्त भूखण्डों के विक्रय से होने वाली आय के सम्बन्ध में सागरर्भित विवरण सहित अनुपालन आख्या प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.24 में प्रस्तुत की गई थी। उक्त अनुपालन आख्या के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा जन-सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझावों के सम्यक निस्तारण उपरान्त लैण्ड मोनेटाईजेशन योजना से आच्छादित समस्त ले-आउट अन्तिम स्वीकृति हेतु बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।” तत्कम में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 12.01.2024 एवं 10.06.24 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लैण्ड मोनेटाईजेशन प्रक्रिया के अर्न्तगत	
--	---	--

११/

12

f

१३

	जन-सामान्य से नियमानुसार आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर उनका युक्ति-युक्त निस्तारण करते हुए नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन एवं तलपट मानचित्रों में आंशिक संशोधन की अन्तिम स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड से प्राप्त करते हुए ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्डों को लाटरी तथा अन्य समस्त भूखण्डों को ई-ऑक्शन के माध्यम से विक्रय किये जाने की कार्यवाही की गई, जिससे प्राधिकरण को लगभग ₹ 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। साथ ही पुर्ननियोजित की गई उक्त सम्पत्तियों में से वर्षों से हवाई पट्टी से प्रभावित तथा डबल आवंटन से प्रभावित आवंटियों को 69 सम्पत्तियां समायोजित की गई है। लैण्ड मोनेटाइजेशन प्रक्रिया के द्वितीय चरण में प्राधिकरण की 05 योजनाओं में अतिक्रमित कुल 22.00 है० भूमि में गैर आवासीय एवं गैर व्यवसायिक को छोड़कर शेष सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि, जिस पर वर्तमान में कृषकों द्वारा अनाधिकृत रूप से कृषि की जा रही है, पर पुर्ननियोजन की कार्यवाही की जा रही है, जिस हेतु अभियंत्रण अनुभाग द्वारा स्थल का सर्वे उपलब्ध करा दिया गया है। उपलब्ध कराये गये सर्वे के आधार पर नियोजन अनुभाग द्वारा 15 पार्ट तलपट मानचित्र तैयार कर 974 सम्पत्तियां सृजित/पुर्ननियोजित की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-	
--	--	--

368

9 13

क्र० सं०	सम्पत्ति की श्रेणी	कुल संख्या
1	ई.डब्ल्यू.एस.	09
2	एल.आई.जी.	101
3	एच.आई.जी. / एम.आई.जी.	782
4	व्यवसायिक	71
5	नर्सिंग होम	05
6	हायर सैकेण्डरी स्कूल	04
7	पेट्रोल पम्प / सी.एन.जी. / इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन	01
8	कम्यूनिटी सेन्टर	01
	कुल	974

विगत बोर्ड की बैठक में लैण्ड मोनेटाइजेशन के अर्न्तगत नियोजित किये जा रहे भूखण्डों के तकनीकी परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था, जिसमें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित है। वर्तमान में

3d

9 3

		उक्त समिति द्वारा पार्ट तलपट मानचित्रों का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त पार्ट तलपट मानचित्रों पर शासनादेश दिनांक 13.10.1998 में दी गई व्यवस्थानुसार जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर प्राप्त आपत्ति/सुझावों का नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा तथा आगामी बोर्ड बैठक/परिचालन के माध्यम से तलपट मानचित्रों की अंतिम स्वीकृति प्राप्त कर सृजित की गई सम्पत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा।	
12.	दिल्ली रोड (शताब्दीनगर) से दिल्ली मेरठ रेलवे लाईन (आयल डिपो) वेदव्यासपुरी योजना की 68 मी० चौड़े मार्ग तक ईनर रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पारित परिचालन प्रस्ताव दिनांक 24.02.2025 के क्रम में, भूमि खरीद की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व, शासनादेश संख्या-385/8-3-16-309 विविध/15 दिनांक 21.05.2016 के क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा दर निर्धारण की कार्यवाही की गयी। समिति की सम्पूर्ण कार्यवाही प्रस्ताव के साथ संलग्न है। अतः 1- प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 24.02.2025 के क्रम में शासन को प्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रत्याशा में, रिंग रोड जैसी महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजना को समयान्तर्गत पूर्ण करने के उद्देश्य से प्राधिकरण अंश की भूमि खरीद हेतु अनुमति	मा० बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित दर निर्धारण समिति के कार्यवृत्त दिनांक 11.04.2025 का अवलोकन किया गया एवं समिति द्वारा रिंग रोड हेतु भूमि खरीद के लिए तय की गयी दरों को मा० बोर्ड द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी। तदनुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 24.02.2025 को पारित प्रस्ताव के क्रम में, लोक निर्माण विभाग के अंशदान की स्वीकृति की प्रत्याशा में, मेरठ शहर हेतु अति आवश्यक अवस्थापना सुविधा होने के दृष्टिगत इनर रिंग रोड हेतु प्राधिकरण अंश के भूमि खरीद को

		एवं 2- शासनादेश संख्या-385/8-3-16-309 विविध/ 15 दिनांक 21.05.2016 के क्रम में गठित समिति द्वारा भूमि खरीद हेतु बैठक दिनांक 11.04.2025 द्वारा निर्धारित दर के प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।	प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।
15.	मेरठ विकास प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी योजना में मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप प्रा0लि0 को आवंटित आवासीय बल्क भूमि के सापेक्ष आडिट आपत्ति के क्रम में 10 प्रतिशत सरचार्ज की देयता वसूल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप् प्रा0लि0 के सुशान्त सिटी, सेक्टर-4ए, वेद व्यासपुरी के आवेदकों के पक्ष में सीधे विक्रय पत्र निष्पादित कराये जाने हेतु विलेख का प्रारूप अन्तिम किया जा चुका है। तदक्रम में आवेदकों से औपचारिकतायें पूर्ण कराकर विक्रय विलेख निष्पादित कराने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। अब तक 04 विक्रय पत्र निष्पादित हो चुके हैं।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
18.	प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पाकेट 'एफ' में नगर निगम, मेरठ द्वारा डाले जा रहे कूड़ा स्थल के समतुल्य भूमि नगर निगम मेरठ द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अथवा उसके बाहर मेरठ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव।	नगर निगम द्वारा प्रश्नगत भूमि पर लैण्ड रिक्लेमेशन कार्य हेतु लगभग 28.69 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रेषित किया गया है।	मा0 बोर्ड को नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में :- लोहिया नगर में लगभग 30.58 एकड़ विस्तार में लगभग 6.86 लाख टन (6,86,300 टन) अपशिष्ट/कूड़े की लिंगेसी वेस्ट साईट है।

		नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि लोहिया नगर प्लान्ट पर उपलब्ध लगभग 6.86 लाख टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण बायोमाइनिंग/बायोरेमिडिएशन विधि से कराया जायेगा। उक्त प्लान्ट पर लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर ली गयी है। जिसके अन्तर्गत लोहिया नगर लीगेसी वेस्ट के निस्तारण की अनुमानित लागत धनराशि रू0 418.11 प्रति मीट्रिक टन आयी है एवं परियोजना की कुल लागत रू0 28.69 करोड़ है, जिसका निस्तारण लगभग 18 माह में करा दिया जायेगा। साथ ही नगर आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में नगर निगम, मेरठ पर धन की उपलब्धता न होने के कारण उक्त भूमि पर लीगेसी वेस्ट का निस्तारण कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि कूड़ा निस्तारण न होने के कारण मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहिया नगर योजना की कुल 13.10 है0 भूमि प्रभावित हो रही है। उपरोक्त भूमि में व्यवसायिक/आवासीय भूखण्डों का नियोजन किया गया है। कूड़ा निस्तारण ना होने के कारण लोहिया नगर
--	--	--

26/

9 13

		के आवंटियों को दूषित वातावरण में रहना पड़ रहा है एवं प्राधिकरण की सम्पूर्ण योजना प्रभावित होने के कारण प्राधिकरण को आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ रही है। अतएव कूड़े का त्वरित निस्तारण आवश्यक है। नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि गावड़ी में प्रस्तावित वेस्ट डिस्पोजल साईट के संचालन में अभी दो वर्ष का समय लगने की संभावना है, परन्तु लोहिया नगर में प्रतिदिन डम्प किये जा रहे कूड़े की मात्रा, लोहिया नगर में प्रतिदिन शोधित किये जा रहे कूड़े से कम है। मा10 बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि :- 1- यदि नगर निगम मेरठ द्वारा वर्तमान में संचालित शोधन संयंत्र को प्रस्तावित क्षेत्रफल के अन्तिम छोर पर स्थानान्तरित किया जाता है, एवं 2-दो वर्ष की सम्पूर्ण अवधि तक शोधन संयंत्र की दैनिक क्षमता से कम मात्रा में अपशिष्ट स्थल पर डम्प किया जाता है, एवं 3-दो वर्ष की समय सीमा समाप्त
--	--	---

3/11
✓





			होने पर लोहिया नगर डम्पिंग साईट पर नये अपशिष्ट की डम्पिंग नहीं की जाती है, एवं 4-गाटा संख्या 312 (क्षेत्रफल 1010 वर्ग मी0) में निहित नगर निगम के प्रबंधन अधीन कुल 2910 वर्ग मी0 की भूमि का समायोजन प्राधिकरण की योजना में किये जाने हेतु नगर निगम की अनापत्ति प्राप्त हो जाती है, एवं 5-शासन द्वारा मंगतपुरम लैण्डफिल के निस्तारण हेतु स्वीकृति रु0 9.37 करोड़ में से बचत की धनराशि रु0 4.5 करोड़ लोहिया नगर लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जाती है, तो ऐसी दशा में लोहिया नगर लिगेसी वेस्ट हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय प्राधिकरण स्तर से किया जाना, प्राधिकरण एवं आमजन के हित में होगा। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नगर आयुक्त को उपरोक्त आशय का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।
--	--	--	--

ml

R

9

125वीं बोर्ड बैठक में मा0 अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत बिन्दुओं पर पारित निर्णय का अनुपालन—			
(b)	शहरी क्षेत्र में अन्य विभागों की खाली, अनुपयोगी भूमि के सम्बन्ध में एक कार्य-योजना मेरठ विकास प्राधिकरण इस रूप में तैयार करें कि उक्त स्थलों का विकास सम्बन्धित विभाग के साथ, समन्वय करके अच्छे ढंग से किया जाये ताकि प्रश्नगत भूमि के उपयोग से प्राधिकरण को आर्थिक लाभ हो सके एवं भूमि भी भविष्य में अतिक्रमण से मुक्त रह सके।	वर्तमान में शासकीय भूमि की इन्वेन्ट्री तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 15.05.2025 तक सम्पूर्ण इन्वेन्ट्री मय वैल्यूएशन प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय की अनुमति हेतु विचारार्थ।	मा0 बोर्ड द्वारा माह मई तक कार्य योजना को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
127वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26-12-2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन —			
मद सं०	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
4	लोहिया नगर योजना मे निर्मित अफोर्डेबल हाउस योजना की (जी. 3) के समस्त 576 भवनों को बल्क मे विक्रय किये जाने के कारण आवंटित 94 फ्लैटो के निस्तारण के सम्बन्ध मे।	बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में लोहिया नगर आवासीय योजना के पाकेट-सीपी के डिफाल्टर आवंटियों के फ्लैट का आवंटन निरस्त करते हुये उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती वापस की जा रही हैं एवं रजिस्ट्रीशुदा फ्लैट्स के आवंटियों एवं पूर्ण भुगतान वाले आवंटियों से अन्यत्र उपलब्ध रिक्त फ्लैटों में सहमति उपरान्त समायोजन अथवा 4 प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि वापस	मा0 बोर्ड द्वारा अवशेष फ्लैटों के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही एक माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

30

9

		करने की कार्यवाही की जा रही हैं। वर्तमान दिनांक तक 07 प्लेटों का रिफण्ड किया जा चुका है एवं 16 प्लेटों के भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।	
11	मेरठ महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के अर्न्तगत ग्राम अब्दुल्लापुर में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु सर्कुलेशन प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	मण्डलीय उद्योग बन्धु की पूर्व बैठको में औद्योगिक संगठनों द्वारा लगातार अपनी औद्योगिक इकाईयां स्थापित किये जाने हेतु भूमि की मांग की जा रही है। मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक दिनांक 09.09.24 में आयुक्त महोदया द्वारा निर्देश दिये गये थे कि अब्दुल्लापुर में प्रदर्शित इण्डस्ट्रीयल लैण्डयूज के सन्दर्भ में औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक कर उक्त क्षेत्र का सर्कुलेशन प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। उपरोक्तानुक्रम में ग्राम अब्दुल्लापुर में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु प्रश्नगत रोड नेटवर्क प्लान (कम्पोनेंट ऑफ जोनल प्लान) में महायोजना मार्ग के अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकतानुसार रोड प्रस्तावित करते हुए महायोजना 2031 में निर्धारित भू-उपयोगों को यथावत रखते हुए तथा क्षेत्र में स्थित छोटी सड़को तथा चक्रोड के स्थान पर ही नई सड़के चिन्हित करते हुए प्रस्तावित करते हुए सर्कुलेशन प्लान तैयार किया गया है। शासनादेश संख्या-4074/आठ-3-2006-55 विविध/2002(आ. ब.)(टी.सी.) दिनांक 17.08.2006 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार ग्राम अब्दुल्लापुर में तैयार किये	मा0 बोर्ड को सर्कुलेशन प्लान के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अब्दुल्लापुर स्थित सम्पूर्ण क्षेत्र के सम्यक विकास हेतु वृहद जोनल प्लान के गठन की आवश्यकता है। बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त जोन का जोनल प्लान भी एन.सी.आर.टी.सी. के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है। मा0 बोर्ड द्वारा सर्कुलेशन प्लान को जोनल प्लान में समाहित करते हुए, जोनल प्लान के साथ ही लागू करने के निर्देश दिये गये।



	गये रोड नेटवर्क प्लान पर जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 26.12.2024 में मद सं0 11 प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में सर्कुलेशन प्लान (ड्राफ्ट) पर जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों के दिनांक 17.01.2025 के संस्करणों में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया गया। साथ ही उक्त सूचना को निर्धारित अवधि के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्धारित अवधि के अर्न्तगत प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये रोड नेटवर्क प्लान पर जन-सामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उपरोक्तानुक्रम में ग्राम अब्दुल्लापुर में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु तैयार किये गये रोड नेटवर्क प्लान (कम्पोनेंट ऑफ जोनल प्लान) को प्रभावी किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
--	---	--

3/1

9

11

12	मेरठ विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में मेरठ विकास क्षेत्र सीमा विस्तार का प्रस्ताव कार्यालय पत्र सं० MeDA/24-25/P/6381 दिनांक 16.01.2025 के माध्यम से शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।	मा० बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
13	मेरठ महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के अन्तर्गत चिन्हित टी.ओ.डी. जोन्स से सम्बद्ध पोटेंशियल जोन्स के जोनल डवलपमेन्ट प्लान एन.सी.आर.टी.सी. के माध्यम से तैयार कराये जाने सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा जोनल प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में एन०सी०आर०टी०सी० से पत्राचार किया गया है। वर्तमान में संस्था द्वारा ड्राफ्ट आर०एफ०पी० तैयार किया जा रहा है।	मा० बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या-आई/728007/2024/बी-309 9/1590/2020 दिनांक 29.08.2024 के क्रम में जोनल प्लान तैयार करने हेतु निजी विशेषज्ञ/कन्सलटेन्ट के चयन हेतु गठित चयन एवं अनुश्रवण समिति में एन.सी.आर.टी.सी. के नियोजन अनुभाग के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये एवं एन.सी.आर.टी.सी. के माध्यम से जोनल प्लान के विषय में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
15	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अलोकप्रिय एवं अनिस्तारित रिक्त विलॉज (डुप्लैक्स), भवनों, फ्लैट्स जिन्हें दिनांक 23-02-2023 को सम्पन्न 122वीं बोर्ड बैठक के मद सं० 15 पर पारित निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के	अवगत कराना है कि प्रथम-आओ, प्रथम पाओ पद्धति से वर्तमान दिनांक तक कुल रिक्त 415 फ्लैट्स के सापेक्ष 205 फ्लैटों का आवंटन कर रु० 4380.53 लाख के फ्लैटों का निस्तारण किया जा चुका है। अवशेष 210 फ्लैटों के प्रथम-आओ, प्रथम पाओ पर आवंटन की कार्यवाही गतिमान है।	मा० बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

311

7

9

	अन्त तक दिनांक 31-03-2018 की कीमत को फ्रीज करते हुए प्रथम-आओं, प्रथम-पाओं, पद्धति से निस्तारण हेतु निर्णय पारित हुआ था, बचे हुए प्लैट्स को "प्रथम-आओ प्रथम-पाओ" से निस्तारण हेतु अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।		
18	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा हवाई पट्टी के निर्माण हेतु नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपलब्ध करायी गयी 46.53 एकड़ भूमि के सापेक्ष देय धनराशि पर आंकलित ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	अवगत कराना है कि नागरिक उड्डयन विभाग को पत्र संख्या-MeDA/24-25/Acquisition/3859-1 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा संशोधित धनराशि रु0 14.58 करोड़ का मांग पत्र प्रेषित किया जा चुका है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
20	ग्राम मुकर्रबपुर पल्हेड़ा स्थित खसरा नम्बर 328 की भूमि पर आर0आर0टी0एस0 द्वारा किये जा रहे निर्माण को लेकर आ रही समस्या के निस्तारण के सम्बन्ध में।	1- प्रस्तुत प्रकरण एन.सी.आर.टी.सी. द्वारा रैपिड रेल के विकास हेतु किये जा रहे निर्माण में आ रही बाधा के निस्तारण हेतु चयनित है। पल्लवपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम मुकर्रबपुर पल्हेड़ा के खसरा सं0 328 क्षेत्रफल 2-9-0 बीघा में से 0-9-0 पर श्रीमती नजमा मलिक पत्नी अमीर असलम एवं अशोक शर्मा आदि द्वारा आवास निर्मित है। उपरोक्त आवासित व्यक्तियों एवं अन्य किसान नेताओं द्वारा पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण की 103 वी बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निस्तारण न होने तक	मा0 बोर्ड द्वारा खसरा संख्या-328 के 9 बिस्वा क्षेत्रफल पर अवस्थित संरचनाओं के विषय में विस्तृत आख्या हेतु अपर जिलाधिकारी (भू-अध्याप्ति) एवं सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की दो सदस्यीय समिति गठित की गयी। समिति को स्थलीय निरीक्षण उपरांत सुस्पष्ट आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

30

9

13

	आर0आर0टी0एस0 के निर्माण को अवरुद्ध कर दिया गया था तथा जिलाधिकारी, मेरठ के इस आश्वासन पर कि प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा, आर0आर0टी0एस0 का निर्माण कार्य सम्भव हो सका। 2- पल्लवपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम मुकरबपुर पल्हैड़ा के खसरा सं0 328 क्षेत्रफल 2-9-0 बीघा को अर्जन किये जाने हेतु धारा 4(1)/17 की विज्ञप्ति सं0 8668/37-2-81-51 एल0ए0-79 दिनांक 19.04.1980 एवं धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति सं0 7091/37-2-81-51 एल0ए0-83 दिनांक 01.05.1981 को शासन द्वारा निर्गत की गयी। 3- प्रश्नगत खसरा की कुल 2-9-0 बीघा भूमि में से 2-0-0 बीघा भूमि का कब्जा अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) सं0सं0, मेरठ कार्यालय द्वारा दिनांक 09.07.1982 को प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया गया तथा शेष 0-9-0 बीघा भूमि जिसका कब्जा स्थल पर कुछ भवन निर्मित होने के कारण नहीं लिया जा सका। 4- प्रश्नगत भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 09.01.1988 को घोषित किया गया। 5- खसरा सं0 328 कुल भूमि में से 2-0-0	मा0 बोर्ड को आबादी से आच्छादित कुल 16 ऐसे प्रकरणों से अवगत कराया गया, जिनमें योजना के पूर्व की आबादी स्थापित है, सम्बन्धित कृषक द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया है एवं स्थल पर आज दिनांक तक प्राधिकरण का कब्जा नहीं है। बोर्ड द्वारा समस्त 16 प्रकरणों का गहनता से परीक्षण करने हेतु अपर जिलाधिकारी (भू-अध्याप्ति), अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) एवं सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी, समिति को समस्त 16 प्रकरणों में सुस्पष्ट आख्या बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
--	--	--

५१

५३

७

	भूमि समस्त प्रकार के ऋण भार आदि से मुक्त होकर प्राधिकरण में निहित हो चुकी है, लेकिन 0-9-0 बीघा अर्थात् 0.1140 है० भूमि भवन निर्मित होने के कारण प्राधिकरण द्वारा कब्जा नहीं प्राप्त किया जा सका। 6- प्रश्नगत खसरा पर आबादी के प्रकरण एवं कब्जे की स्थिति को लेकर विवाद के निस्तारण हेतु प्राधिकरण की 102 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18-6-14 मद सं०-03 में प्रस्ताव रखा गया। 7- उपरोक्त के क्रम में प्राधिकरण द्वारा 103 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 6-9-14 के मद सं०-3 द्वारा निम्न नीति निर्धारित की गयी- “पल्लवपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत खसरा सं०-328 स्थित ग्राम पल्हेडा के पाकेट-जे में अर्जित भूमि पर विक्रय पत्रों के आधार पर 15 वर्षों से काबिज अनाधिकृत व्यक्तियों के कब्जा हटाये जाने के उद्देश्य से निम्न नीति स्वीकार की गयी- 1- सर्वे रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं०-328 में अवैध काबिज व्यक्तियों को पाकेट-जे में अन्यत्र दोमंजिला शॉपिंग काम्प्लैक्स एवं व्यवसायिक भूखण्ड सृजित पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वर्तमान दर पर आवंटन इस शर्त के साथ कर दिये जावें, कि अनाधिकृत काबिज व्यक्ति खसरा सं०-328 से अनाधिकृत निर्माण हटा लें। 2- अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कोई अन्य अनुतोष	
--	---	--

३८

9

13

		अनाधिकृत काबिज को नहीं दिया जाये। 3- अनाधिकृत काबिज क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत अधिकतम 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान दर पर अनुमन्य किया जाये।” 8- प्राधिकरण की 104 वी बोर्ड बैठक दिनांक 03.12.2014 के मद सं0 03 के अनुसार प्रश्नगत खसरा में कतिपिय अवैध काबिज 46 व्यक्तियों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया— “पारदर्शी रूप में एक माह की समय सीमा के अन्तर्गत नियमसंगत रूप से अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।” 9- प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में मौके पर काबिज 46 व्यक्तियों को उनकी सहमति के आधार पर पल्लवपुरम योजना के पाकेट—जे में दोमंजिला शॉपिंग काम्पलैक्स एवं व्यवसायिक भूखण्ड सृजित कर निर्धारित वर्तमान दर पर आवंटन के शर्तों के आधार पर आवंटित किये गये। 10- उप जिलाधिकारी सरधना की आख्या दिनांक 10.02.2023 के अनुसार उपरोक्त 46 व्यक्तियों में सम्मिलित श्री अमीर असलम, अनिल कुमार शर्मा एवं केवल प्रकाश आदि निवासीगण ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैड़ा, तहसील व जिला मेरठ द्वारा	
--	--	--	--

		तत्समय एक माह के अन्दर अपनी सहमति न दिये जाने के फलस्वरूप उन्हें आवंटन नहीं किया जा सका है। 11—अधिशाली अभियन्ता के पत्र सं० 2471/ईई/2017-18, दिनांक 24.03.18 द्वारा खसरा सं० 328 पर बसे परिवारों को आवंटित 46 व्यक्तियों द्वारा स्थल से कब्जा हटा दिया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत खसरा की अधिसंख्य भूमि पर प्राधिकरण का कब्जा है। किन्तु 727.00 वर्ग गज पर श्रीमती नजमा मलिक आदि का निर्माण एवं कब्जा है। 12—अतः 103 वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के बिन्दु सं० 3— “अनधिकृत काबिज क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत अधिकतम 200 वर्ग मी० क्षेत्रफल वर्तमान दर पर अनुमन्य किया जायें।” के अनुसार श्रीमती नजमा मलिक पत्नी श्री अमीर असलम (वारिस बुन्दु खां) क्षेत्रफल 287 वर्ग गज एवं श्री अशोक शर्मा एवं अरुण शर्मा (वारिस श्रीमति धन्नों व शिवदत्त) क्षेत्रफल 440 वर्ग गज भूमि बोर्ड निर्णय के क्रम में वर्ष 2014 के दर पर आवंटन किये जाने मा० बोर्ड से स्वीकृति हेतु कार्यवाही शेष है। 13—उल्लेखनीय है कि सम्पत्ति अनुभाग की आख्या के अनुसार मौके पर 106.20 वर्ग मी०	
--	--	--	--

318

9

13

		के 03 भूखण्ड नियोजित हैं, जिनका क्रमांक सी-17, सी-17/1 एवं सी-18 हैं। अतः तीनो भूखण्डों की भूमि का क्षेत्रफल 318.60 वर्ग मी० है। यह नियोजन उसी भूमि पर हुआ है, जिन पर वर्तमान में आवेदकों के भवन निर्मित है। 14-श्रीमती नजमा मलिक पत्नी श्री अमीर असलम द्वारा काबिज भूमि क्षेत्रफल 287 वर्ग गज का 50 प्रतिशत 143.5 वर्ग गज होता है तथा श्री अशोक शर्मा एवं अरूण शर्मा द्वारा काबिज भूमि क्षेत्रफल 440 वर्ग गज का आधा 220 वर्ग गज होता है। दोनो आवेदकों को देय क्षेत्रफल $143.5 + 220 = 363.5$ वर्ग गज है। यह 303.93 वर्ग मी० के बराबर है। अतः आवेदको को 103वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार भूमि प्रदान की जा सकती है। मौके पर 318.60 वर्ग मी० के अतिरिक्त भूमि रिक्त नहीं है। <u>अतः उपरोक्त आख्या के अनुसार मा० बोर्ड के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है:-</u> 1- 103 वीं बोर्ड बैठक के मद सं०-3 के बिन्दु सं०-3 के क्रम में आवेदक श्रीमती नजमा मलिक एवं श्री अशोक शर्मा आदि द्वारा किये गये निर्माण में सम्मिलित भूमि 727 वर्ग गज	
--	--	--	--

30

13

9

		भूमि के सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात् 363.50 वर्ग गज (303.93 वर्ग मी०) भूमि को 2014 की दर पर समायोजित कर दिया जाये। चूंकि मौके पर लगभग 15.00 वर्ग मी० भूमि अतिरिक्त बच रही है, जिससे कि कोई नया भूखण्ड सृजित करना नियोजन की दृष्टि से सम्भव नहीं है, अतः इस अतिरिक्त भूमि का आवंटन आवेदन के आधार पर वर्तमान दर पर किया जाये। 2- उक्त भूमि पर पूर्व में नियोजित भूखण्ड सं०-सी-17, सी-17/1 एवं सी-18 के सापेक्ष किये गये आवंटन को निरस्त करते हुए आवंटियों द्वारा जमा धनराशि को बिना बयाज बिना कटौती के रिफण्ड कर दिया जाये। 3- आवेदकों द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में योजित किये गये समस्त वाद वापस ले लिये जायेंगे। प्राधिकरण की भूमि पर आबादी सम्बन्धी प्रकरण 1- मा० बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण स्तर से प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 08.01.205 को सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित कर ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन आमंत्रित किये गये, जहां प्राधिकरण की भूमि	
--	--	--	--

	पर योजना सृजन से पूर्व की आबादी बसी हुयी थी, सम्बन्धित कृषक द्वारा भूमि के सापेक्ष किसी प्रकार का प्रतिकर प्राप्त नहीं किया गया था एवं वर्तमान दिनांक तक निर्माणकर्ता का मौके पर कब्जा विद्यमान था। 2- उपरोक्त के सापेक्ष प्राधिकरण की 05 योजनाओं से कुल 61 आवेदन प्राप्त हुए। योजनावार आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र० .सं.</th><th>योजना का नाम</th><th>प्राप्त आवेदन</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>गंगा नगर + रक्षापुरम</td><td>07</td></tr> <tr> <td>2</td><td>लोहिया नगर</td><td>23</td></tr> <tr> <td>3</td><td>शताब्दी नगर</td><td>17</td></tr> <tr> <td>4</td><td>श्रद्धापुरी</td><td>06</td></tr> <tr> <td>5</td><td>वेदव्यासपुरी</td><td>08</td></tr> </tbody> </table> 3- पूर्व में प्राधिकरण स्तर से इस प्रकार की भूमि के समायोजन हेतु शासन को पत्रांक-भू-अर्जन/वेदराम-696 दिनांक 15.01. 2008 द्वारा सन्दर्भ प्रेषित किया गया। शासन	क्र० .सं.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन	1	गंगा नगर + रक्षापुरम	07	2	लोहिया नगर	23	3	शताब्दी नगर	17	4	श्रद्धापुरी	06	5	वेदव्यासपुरी	08	
क्र० .सं.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन																		
1	गंगा नगर + रक्षापुरम	07																		
2	लोहिया नगर	23																		
3	शताब्दी नगर	17																		
4	श्रद्धापुरी	06																		
5	वेदव्यासपुरी	08																		

31

31

9

		द्वारा अपने पत्र संख्या-379/8-3-08-130एल.ए./03 दिनांक 23.05.2008 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि भू-स्वामी के पक्ष में भूमि के समायोजन पर शासन स्तर से विचार किया जा सकता है, परन्तु उन्हें स्टाम्प शुल्क, फ्रीहोल्ड शुल्क, भू-अर्जन सम्बन्धी व्यय एवं विकास शुल्क आदि से छूट देना सम्भव नहीं है। 4- इसके उपरांत प्राधिकरण की 106वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.09.2015 के मद संख्या-14 पर आबादी की भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के विषय में बोर्ड द्वारा "जिन भूमि पर वर्ष 1990 या उससे पहले से कृषकों का आबादी के रूप में कब्जा चला आ रहा है, अतः भूमि समायोजन वर्ष 1990 की दरों पर किया जाना उचित होगा तथा यह कार्यवाही एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जये।" 5- इस प्रकार यह प्रकरण भी लगभग एक दशक से लम्बित है, चूंकि प्रकरण राजस्व एवं भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित है, अतः अपर जिलाधिकारी-भू-अध्याप्ति एवं सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की दो सदस्यीय समिति गठित कर एक माह के भीतर समिति से सुविचारित प्रस्ताव प्राप्त करना श्रेयस्कर होगा,	
--	--	---	--

		जिससे कि बिन्दु संख्या-3 एवं 4 में क्रमशः शासन एवं प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जा सके। 6- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।	
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव पर पारित निर्णय का अनुपालन-			
1.	उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मेरठ की, सोहराब गेट बस स्टेशन को अन्यत्र स्थापित होने तक, बस स्टैण्ड को अस्थायी रूप से संचालन हेतु लोहियानगर योजना में 2.00 हैक्टेअर भूमि दिये जाने की माँग के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में किराये की धनराशि का उल्लेख करते हुए किरायानामा अनुबन्ध किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मेरठ को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मेरठ द्वारा वर्तमान दिनांक तक भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

128वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16-04-2025 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय-

मद सं०	विषय	निर्णय
1	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में कतिपय संशोधनों को अंगीकृत किये जाने विषयक।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया तथा मा0 बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि बेसमेन्ट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेन्ट की भांति एक्सटेन्डेड बेसमेन्ट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

		(यथा संशोधित-2023) के अध्याय-3.9 में संशोधन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-आई/905249/2025/8-3099/303/2023 दिनांक 12.03.205 एवं निर्गत शुद्धि पत्र संख्या-आई/936131/2025/8-3099/303/2023 पार्ट-1 दिनांक 16.04.2025 को भी अंगीकृत किया जाना है। मा0 बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या-02/2025/आई/878228/2025-8-1099/72/2024 दिनांक 03.02.205, शासनादेश सं0-8-3-3099/5/2024 दिनांक 05.07.2024, शासनादेश सं0-आई/681559/2024/8-3-3099/279/2024 दिनांक 02.07.2024 एवं शासनादेश संख्या-आई/905249/2025/8-3099/303/2023 दिनांक 12.03.205 एवं निर्गत शुद्धि पत्र संख्या-आई/936131/2025/8-3099/303/2023 पार्ट-1 दिनांक 16.04.2025 को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
2	लोहियानगर व शताब्दीनगर योजना में अर्द्धनिर्मित ई.डब्ल्यू.एस. अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग भवनों के विक्रय हेतु एन.बी.सी.सी. के साथ अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा एन.बी.सी.सी. द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट एमओयू को अनुमोदित करते हुए, प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।
3	मेरठ विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अर्न्तगत 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल से अधिक के भवनों में व्हाइट रूफ टॉप प्राविधान लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

३६

३

९

4	मेरठ महायोजना-2031 के अर्न्तगत चिन्हित टी.ओ.डी. जोन्स के ड्राफ्ट जोनल प्लान के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध मे।	मा0 बोर्ड द्वारा समस्त ड्राफ्ट जोनल प्लान को अनुमोदित किया गया एवं शासनादेश संख्या-आई/728007/2024/बी-3099/1590/2020 दिनांक 29.08.2024 द्वारा गठित शासन स्तरीय Technical Evaluation Committee को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
5	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों का नॉन पेमेन्ट में निरस्त हो जाने पर सम्पत्ति की रेस्टोरेशन (बहाली) के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव पर गहन विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यह सुनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं है कि निरस्तशुदा सम्पत्ति को किन परिस्थितियों में पुर्नआवंटन हेतु सूचीबद्ध नहीं किया जा सका, ऐसी दशा में 108वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-08 में निर्धारित व्यवस्था को शिथिल किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में बोर्ड द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया गया।
6	जैन नगर लिंक रोड की कनैक्टिविटी विषयक।	मा0 बोर्ड द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, उप जिलाधिकारी-सदर, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण की चार सदस्यीय समिति से निजी भूमि के 1359 फसली के आधार पर स्पष्ट निर्धारण उपरांत ही भूमिधर को भूमि के सापेक्ष जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर के दो गुने पर भुगतान सहमति के आधार पर करने एवं भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्ति का लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल मूल्यांकन के आधार पर भुगतान करने हेतु निर्देशित किया। प्रश्नगत परियोजना की पूर्णता मेरठ शहर के ट्रैफिक व्यवस्थापन हेतु अति आवश्यक होने के दृष्टिगत समस्त व्यय भार अवस्थापना निधि से करने एवं उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को सम्पूर्ण प्रक्रिया 15 कार्य दिवस में निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया।
7	अनुरक्षण बिलों के सापेक्ष एक मुश्त समाधान योजना।	मा0 बोर्ड द्वारा निम्न स्लैब अनुसार समाधान योजना दिनांक 31.07.2025 तक लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

		क्र० सं०	भूखण्ड/भूखण्ड का क्षेत्रफल		ब्याज पर छूट
		1	आवासीय	0 से 100 वर्ग मी० तक	50%
				101 से 150 वर्ग मी० तक	35%
				150 वर्ग मी० से अधिक	30%
		2	गैर आवासीय	समस्त प्रकृति	30%
		उक्त समाधान योजना इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होगी कि जिन आवंटियों द्वारा अनुरक्षण धनराशि पूर्व में जमा की जा चुकी है, उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।			
8	वित्तीय वर्ष 2024-25 का वास्तविक आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट।	मा० बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का वास्तविक आय-व्ययक एवं वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट अनुमोदित किया गया।			
9	पेट्रोल पम्प/सी०एन०जी० स्टेशन (फ्यूल स्टेशन) की विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने वाली क्रिया की अनुमति के सम्बन्ध में।	मा० बोर्ड द्वारा पेट्रोल पम्प/सी०एन०जी०(फ्यूल स्टेशन) अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत समस्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।			
10	अवस्थापना निधि मद की 10 प्रतिशत धनराशि हरित अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	मा० बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।			
11	उ०प्र० शहरी योजना एवं विकास अधिनियम-1975 के अन्तर्गत आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन विषयक।	मा० बोर्ड द्वारा आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को नोडल अधिकारी नामित किया गया।			

12	प्राधिकरण की गंगा नगर, वेदव्यासपुरी एवं लोहिया नगर योजना अन्तर्गत योजनाओं के सम्बन्ध में कृषकों के साथ वर्ष 2015 में किये गये समझौते विषयक।	मा0 बोर्ड द्वारा गंगा नगर, वेदव्यासपुरी एवं लोहिया नगर योजना के अन्तर्गत कृषकों की देयता अद्यतन किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (भू-अध्याप्ति), अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, उप जिलाधिकारी-सदर, वित्त नियंत्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण, अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण की समिति गठित की गयी तथा समिति को तीनों योजनाओं में वर्ष 2015 के समझौते से आच्छादित समस्त कृषकों की समझौते अनुसार कुल देयता का कृषकवार ब्यौरा दो माह में बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
13	सैनिक विहार योजना में कतिपय भूखण्डों के आवंटन विषयक।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में स्थलीय माप सहित विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
14	श्री सुखपाल एवं अशोक कुमार पुत्रगण स्व0 श्री होशियार सिंह के प्रत्यावेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण स्तर से Compensation निर्धारित किये जाने हेतु सम्बन्धित भू-धारकों से किये गये प्रथम पत्राचार की दिनांक को लागू योजना दर पर मुआवजे के भुगतान हेतु सम्बन्धित भूमिधर से Negotiation किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।

318

9

3

15

मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड के समक्ष निम्न अनुसार 12 भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। जिन पर मा0 बोर्ड में गहन विचार-विमर्श किया गया।

1. मेरठ पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज, खसरा सं0 832/1, 713/1, 713/2, 712A, 712B, 744/5, 755, 757 ग्राम मसूरी, तहसील मवाना, जनपद मेरठ।

ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0 मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
मसूरी	832/1	0.1700	कृषि	उद्योग
	713/1, 713/2	0.5108	हाईवे फैसेलिटी जोन	उद्योग
	712A, 712B, 744/5, 755, 757	2.3835	उद्योग	उद्योग
	कुल	3.2995		

2. श्री सुनील गर्ग व श्री चिराग गुप्ता, खसरा सं0 56, ग्राम भोजपुर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ।

ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0 मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
भोजपुर	56	0.324	मार्गाधिकार	मार्गाधिकार
		0.2056	कृषि	उद्योग
	कुल	0.2380		

3. श्री रश्मी जैन, श्री सांची जैन, खसरा सं0 9,17,24 व 25 ग्राम एतमादनगर, तहसील सरधना, जनपद मेरठ।

ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0 मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
एतमाद नगर	9	0.0747	मार्गाधिकार	मार्गाधिकार
		0.1323	कृषि	आवासीय

		17, 24 व 25	1.1180	कृषि	आवासीय
		कुल	1.3250		
4. श्री सचिन मित्तल, खसरा सं० 10,16 व 18 ग्राम एतमादनगर, तहसील सरधना, जनपद मेरठ।					
ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है० मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	
एतमाद नगर	10	0.0650	मार्गाधिकार	मार्गाधिकार	
		0.1110	कृषि	आवासीय	
	16 व 18	0.7620	कृषि	आवासीय	
	कुल	0.9380			
5. श्री राजीव कुमार गुप्ता, खसरा सं० 69,94,95,79,80,89,91 व 92 ग्राम इकला, तहसील सदर, जनपद मेरठ।					
ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है० मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	
इकला	69, 94, 95, 79, 80, 89, 91, व 92	1.15876	कृषि	उद्योग	
6. श्री मयंक जैन, खसरा सं० 151 ग्राम इकला, तहसील सदर, जनपद मेरठ।					
ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है० मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	
इकला	151	0.3080	कृषि	आवासीय	
7. मै० अजीतनाथ डवलपर्स द्वारा खसरा सं० 157 ग्राम इकला, तहसील सदर, जनपद मेरठ।					
ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है० मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग	

		इकला	157	0.6230	कृषि	आवासीय
		8. श्री श्याम सुन्दर अरोडा व श्रीमती अंजना अरोडा, खसरा सं0 790 ग्राम दतावली गेसूपुर, तहसील सदर, जनपद मेरठ।				
		ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0 मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
		दतावली गेसूपुर	790	0.1200	कृषि	व्यवसायिक
		9. मै0 सारथी डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री बबल सिंह, खसरा सं0 891 से 894 ग्राम समौली सलेमपुर, तहसील सरधना, जनपद मेरठ।				
		ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0 मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
		समौली सलेमपुर	891 से 894	2.1323	कृषि	आवासीय
		10. श्रीमती अर्पणा अग्रवाल, श्री रवि भूषण व श्री सचिन अग्रवाल, खसरा सं0 475,476,477,464 पार्ट,465पार्ट,459,461मि,462,468,473मि,474,479,407/2, 407/3, 407/4, 457 पार्ट, 467मि, 487, 469 पार्ट, 470 पार्ट, 471 पार्ट, 472 पार्ट व 500 पार्ट ग्राम मोहकमपुर, दिल्ली रोड, जनपद मेरठ।				
		ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0 मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
		मोहकमपुर	475	0.1377	मार्गाधिकार	मार्गाधिकार
				0.1283	उद्योग	आवासीय
			476	0.1010	मार्गाधिकार	मार्गाधिकार
			477	0.1611	मार्गाधिकार	मार्गाधिकार

			0.4079	उद्योग	आवासीय
		464 पार्ट	0.1214	मार्गाधिकार	मार्गाधिकार
			0.2695	उद्योग	आवासीय
		465 पार्ट	0.2200	मार्गाधिकार	मार्गाधिकार
			0.2641	उद्योग	आवासीय
		459,461मि, 462, 468,473मि,474, 479,407 / 2, 407 / 3, 407 / 4, 457 पार्ट, 467मि, 487, 469 पार्ट, 470 पार्ट, 471 पार्ट, 472 पार्ट, 500 पार्ट	7.0703	उद्योग	आवासीय
		कुल	8.14011		
		11. श्री रवि भूषण व श्री सचिन अग्रवाल, खसरा सं० 174,179,185 व 186 ग्राम मोहकमपुर, दिल्ली रोड, जनपद मेरठ।			

ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल(है० मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
मोहकमपुर	179	0.0313	मार्गाधिकार	मार्गाधिकार
		0.0586	उद्योग	व्यवसायिक
	174, 185 व 186	0.7893		
	कुल	0.8458		

12. मै० गजानन्द ट्रेडमार्क, खसरा सं० 400मि, ग्राम नंगला शेर खों, तहसील सदर, जनपद मेरठ।

ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है० मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
नंगला शेर खों	400मि०	0.6688	पब्लिक फैसिलिटी	आवासीय

उपरोक्त के क्रम में मा0 बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:-

1-मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये उपरोक्त 12 भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव में से बिन्दु सं0 10, 11 मेरठ महायोजना-2031 के अन्तर्गत उद्योग भू-उपयोग तथा प्रस्ताव सं0 12 पब्लिक फैसिलिटी भू-उपयोगों के दृष्टिगत उक्त भू-उपयोगों को यथावत रखते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

2-उक्त के अतिरिक्त बिन्दु सं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 का भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव कृषि से औद्योगिक एवं आवासीय भू-उपयोग होने के दृष्टिगत उक्त भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3- बिन्दु सं0 01 मेरठ पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज, खसरा सं0 832/1, 713/1, 713/2, 712A, 712B, 744/5, 755, 757 ग्राम मसूरी, तहसील मवाना, जनपद मेरठ के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार-विमर्श उपरान्त खसरा सं0 832/1 पर कोई पहुंच उपलब्ध न होने के कारण उक्त को भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव से पृथक किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

ग्राम/ नगरीय क्षेत्र का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है० मे)	महायोजना-2031 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
मसूरी	713/1, 713/2	0.5108	हाईवे फैसिलिटी जोन	उद्योग
	712A, 712B, 744/5, 755, 757	2.3835	उद्योग	उद्योग
	कुल	3.1295		

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव पर निर्णय—

1. मेरठ विकास प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के समूह "ग" एवं "घ" के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण हेतु नियमावली-2016 को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा विनियमितीकरण नियमावली-2016 अधिसूचना संख्या-9/2016/2/1/97/का-2/2016 दिनांक 12.09.2016 को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
--	---

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्ताव-

मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि नगर पंचायत, हस्तिनापुर में मुख्य सड़क पर पूर्व में विनीता कैमीकल्स को आवंटित लगभग 30 एकड़ भूमि पुनः नगर पंचायत, हस्तिनापुर के स्वामित्व में आ गयी है। उपरोक्त भूमि हस्तिनापुर में Central business district की स्थापना हेतु सर्वथा उपयुक्त है। यदि नगर पंचायत, हस्तिनापुर द्वारा यह भूमि मेरठ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाती है अथवा मेरठ विकास प्राधिकरण के साथ नगर पंचायत, हस्तिनापुर द्वारा साझा रूप से Central business district की स्थापना की जाती है, तो हस्तिनापुर में व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा एवं हस्तिनापुर क्षेत्र का Decongestion भी सम्भव हो सकेगा।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को नगर पंचायत, हस्तिनापुर से समन्वय स्थापित कर इस दिशा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

3/8
(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(अभिषेक पाण्डेय)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

MSUAS/107
(हृषिकेश भाष्कर यशोद)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।

